

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
	<p>दीपकदास / सरला</p> <hr/>
2-3-22	<p>वकील पति उषा / मूलवाद के साथ दिनांक 14-3-22 को पेश हो।</p>
14-3-22	<p>वकील पति उषा / मूलवाद के साथ दिनांक 30-3-22 को पेश हो।</p>
30-3-22	<p>वकील शर्मा अप०। मूलवाद के साथ दिनांक 13-4-22 को पेश हो।</p>
13-4-22	<p>वकील शर्मा अप०। मूलवाद के साथ दि० 4-5-22 को पेश हो।</p>
4-5-22	<p>वकील शर्मा अप०। मूलवाद के साथ दि० 18-5-22 को पेश हो।</p>
	<p>18-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहव अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पकारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29-6-22 को पेश हो।</p>
	<p>29-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहव अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पकारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 22-8-22 को पेश हो।</p>
	<p>22-8-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहव अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पकारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-10-22 को पेश हो।</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अल

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
18-10-22	वकील वादी अ० । मूल वाद के साथ दिनांक 6-12-22 को पेश हैं । ✓
6-12-22	पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 14-12-22 को पेश हैं । ✓
19/12/22	पत्रावली पेश हुई । डा० पत्र का दावा अदम एजरी में वारिज किया जा चुका है अतः डार्थना पत्र भी अदम एजरी में वारिज किया जाऊँ । पत्रावली के सब शुमार होकर दखिल लेख भेजा है । ✓